# कार्यालय विक्रय अधिकारी

## बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,बारां प्रधान कार्यालय,नियर बस स्टेण्ड-बारां टेलीफोन 07453–230084

क्रमांकः :–      –:पूर्व स्थगित विक्रय की उदघोषणा :–      दिनांकः–24.03.2026

समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि पूर्व की स्थगित विक्रय की उदघोषणा के तहत राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 99–100 के अन्तर्गत चूक करने वाले अग्रांकित ऋणी सदस्याण से बैंक बकाया ऋण ब्याज तथा कुर्की/बिकी का खर्चा बैंक नियमानुसार वसूल करने के लिए न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉं बारां के आदेशानुसार अधिकृत विक्रय अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार वर्णित मौके पर अवस्थित सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा **"जहॉं है, जैसी है" और जो है,जो कुछ भी है",जिसके पास भी है"**के आधार पर को विक्रय करने हेतु अग्रांकित दिनांक/तिथि एंव नीलामी स्थल पर सार्वजनिक रूप से खुली बोली के द्वारा नीलाम/विक्रय किया जावेगा। तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा। नीलामी की शर्ते बैंक की बेबसाईट bnsb.bank.in एंव बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड,बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। **नीलामी दिनांक–28.04.2026, आरक्षित मूल्य–रू0 290.00 लाख रू0**

| क | विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण | नीलामी दिनांक | नीलामी समय | नीलामी स्थान | बकाया ऋण एंव आरक्षित मूल्य (रू0) | जमानतदार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्पत्ति मालिक स्व.श्रीमति प्रेमलता जैन पत्नी स्व.श्री कैलाश चन्द जैन,ऋणी कमशः– स्व. श्रीमति प्रेमलता जैन पत्नि स्व.श्री कैलाशचन्द जैन, श्री राजेन्द्र कुमार सोनी एवं उमेश जैन पुत्रगण स्व.श्री कैलाशचन्द जी, निवासी–जैन जोडला मन्दिर के पास बारां की अचल सम्पत्ति यथा **दुकान साईज 23x20 =460** वर्गफीट **बाद मकान साईज 23x112 =** 2576 वर्गफीट, **कुल माप 23x132 =3036** वर्गफीट दो मंजिला जो **सरकारी अस्पताल के सामने बारां में** यथास्थिति मौकानुसार अवस्थित है।जिसका ब्लूप्रिन्ट नक्शा, पटटा विलेख उपजिला कलेक्टर/भू आवंटन पत्र–रजिस्ट्री न.पा.बारां/बयनामा आलेखित अनुसार अचल सम्पत्ति<br>पूर्वः–खण्डेलवाल धर्मशाला,<br>पश्चिमः–आम रास्ता,<br>उत्तरः–धर्मादा चौराहा से मंडी रोड<br>दक्षिणः–नीव भरा प्लॉट श्री बह्यानन्द शर्मा, | 28.04.2026<br><br>विक्रय योग्य | दिन के 03 बजे से<br><br>आरक्षित मूल्य–290.00 लाख रू0 | बैंक प्रधान कार्यालय भवन नियर बस स्टेण्ड बारां | बकाया ऋण :–<br>1.स्व.श्रीमति प्रेमलता जैन–8314422.00 रू0<br>2.–श्री राजेन्द्र कुमार सोनी –10719304.88 रू0<br>3 उमेश जैन–10386072.60<br>कुल–**29419799.48** रू 28.02.2026 तक एंव दिनांक–01.03.2026 से ब्याज ता तारीख तथा 10 प्रतिशत् कुर्की बिकी खर्चा बैंक नियमानुसार अलग से देय होगा। | 1. श्री महेन्द्रकुमार पुत्र श्री राधेश्याम निवासी–राधेश्याम महेन्द्रकुमार संस्था धर्मादा चौराहा बारां<br>2. श्री डा0 हेमन्त गोयल पुत्र श्री बाबूलालजी निवासी–विवेकानन्द पार्क के सामने बारां<br>3.श्री राजेन्द्र माहेश्वरी पुत्र श्री बृजमोहन जी शीतला चौक बारां<br>4. श्री कैलाशचन्द जैन पुत्र श्री मदनलाल जी निवासी–श्रीजी चौक बारां<br>5.श्री मुकेश कुमार गर्ग पुत्र बद्रीलाल जी निवासी–दीनदयाल पार्क बारां<br>6.श्री बालकिशन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जी निवासी–शिवाजी नगर बारां |

नीलामी की शर्ते :–

1. रजिस्ट्रेशन राशि 5000/–रू0 होगी, जो बैक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास दिनांक–28.04.2026 को 10 बजे से दिन के 03 बजे तक नकद जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते है। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
2. नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होगें, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र ,फोटो , पेन कार्ड ,आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली मे रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. **प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/–रू0 के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढती रहेगी।**
4. नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत् राशि 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी,उक्त समयावधि में राशि जमा नही होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी,जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
5. शेष बकाया नीलामी राशि 15 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड बारां में उक्त खाता संख्या–**001130901150130** में जमा करानी होगी। 15 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत् जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
6. यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नही कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
7. नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी/विक्रय अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
8. नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नही होगा।
9. यदि ऋणी द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया ऋण राशि ,ब्याज,वसूली खर्च,एंव अन्य नीलामी से संबधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सैविंग्स ब्याज दर सहित वापस लोटा दी जावेगी।
10. चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत की जावेगी।
11. मौके पर सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा **"जहॉं है, जैसी है" और जो है,जो कुछ भी है",जिसके पास भी है"**के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
12. उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ड्यूज ,एवं सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च केता को वहन करना होगा।
13. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यकम मे परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
14. विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर पधारकर बोली लगावे।

विक्रय अधिकारी<br>
विक्रय अधिकारी<br>
बारॉं नागरिक सहकारी बैंक लि॰    कृ0पृ0उ0

क्रमांक (फा) बानासबैंक प्र.का.बारां/वसूली/2025–26/705-716 दिनांकः–24.03.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1 श्रीमान् न्यायालय उपरजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां बारां।

2 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बैंक बारां।

3 श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, बैंक बारां।

4 शाखा प्रबन्धक–शाखा–मुख्यशाखा बारां/प्रधानकार्यालय शाखा बारां/तेलफेक्ट्री एरिया बारा, शाखा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें

5 सम्पत्ति मालिक/ऋणी कमशः–स्व.श्रीमति प्रेमलता जैन पत्नि स्व.श्री कैलाश चन्द जैन, श्री राजेन्द्र कुमार सोनी एंव उमेश जैन पुत्र स्व.श्री कैलाशचन्द जी निवासी–जैन जोडला मन्दिर के पास बारां को जर्ये पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त रहन शुदा सम्पत्ति की नीलामी हेतु **विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 13.04.2026 के बाद के स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित करवा दी जावेगी।** समस्त ऋणी सदस्य एवं जमानतदारान् सूचित हो।

6 जमानतदार–श्री महेन्द्रकुमार पुत्र श्री राधेश्याम निवासी–राधेश्याम महेन्द्रकुमार संस्था धर्मादा चौराहा बारां।

7 जमानतदार– श्री डा0 हेमन्त गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी निवासी–विवेकानन्द पार्क के सामने बारां।

8 जमानतदार– श्री राजेन्द्र माहेश्वरी पुत्र श्री बृजमोहन जी शीतला चौक बारां ।

9 जमानतदार– श्री कैलाशचन्द जैन पुत्र श्री मदनलाल निवासी–श्रीजी चौक बारां ।

10 जमानतदार– श्री मुकेश कुमार गर्ग पुत्र बद्रीलाल जी निवासी–दीनदयाल पार्क बारां ।

11 जमानतदार– श्री बालकिशन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जी निवासी–शिवाजी नगर बारां ।

12 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु बैंक/नगर परिषद बारां/पंचायत भवन

विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0

विक्रय अधिकारी
बारॉं नागरिक सहकारी बैंक लि०